कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल,

ट्रेजरी बिल्डिंग्स, कोलकाता - 700 001.

कार्यालय आदेश संख्या प्रशा.हिंदी सेल/हिं.प./2023-24/14 दिनांक: 02.08.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय- हिंदी में मूल रूप से टिप्पणी व प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक - 16 फरवरी 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या - ।। 12013/3/87- रा.भा. (क-2) और मुख्यालय के पत्र संख्या 1094/रा.भा.अ./62-2016-।।। दिनांक 17.10.2016 के तहत इस कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है ।

2. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में किए गए टिप्पण-मसौदा आदि का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में विधिवत रूप से भर कर अनुभाग/आसन्न अधिकारी एवं उच्च अधिकारी के माध्यम से सत्यापित करवाकर दिनांक- 16.08.2023 तक प्रशा. हिंदी सेल में जमा करना होगा । इस योजना का विवरण निम्न प्रकार से है-

(1) पात्रता-

(i) यह प्रोत्याहन योजना इस कार्यालय के उन अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी काम पूर्णतया अथवा कुछ सीमा तक अथवा मूल रूप से हिंदी में करते हैं।

(ii) केवल वहीं अधिकारी/ कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो **"क"** क्षेत्र अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा **"ग" क्षेत्र जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिंदी में लिखें।** इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इंद्रराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

(iii) हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक जो सामान्यत: अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(iv) इसमे मूल टिप्पण व प्रारूपण के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टरों आदि में प्रविष्टियॉ करना, सूची तैयार करना, लेखा कार्य करना आदि भी शामिल किये जाएंगे।

(v) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालय, बांग्ला, उड़िया अथवा असमिया है उन्हे 20% तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा।

(vi) इस योजना में प्रशा. हिंदी सेल का स्टाफ और सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने संबंधी किसी योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाले टंकक एवं आशुलिपिक भाग नहीं ले सकेंगे।

2. हिंदी में किये गए कार्य का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु 100 अंक होंगे जिनमें से 70 अंक हिंदी में किये गए कार्य की मात्रा तथा 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

3. अधिकारीवृंद से अनुरोध है कि इस पुरस्कार योजना की जानकारी अपने अधीन कार्यरत सभी कार्मिकों को दें और कार्मिकों को इस योजना में भाग के लिए प्रोत्साहित करें।

4. भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा हिंदी में किये गए कार्य के आधार पर निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाएंगे-

क्रमांक	पुरस्कार	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कारों की धनराशि
1.	पहला पुरस्कार	02 पुरस्कार	प्रत्येक 5000/- रूपये
2.	दूसरा पुरस्कार	03 पुरस्कार	प्रत्येक 3000/- रूपये
3.	तीसरा पुरस्कार	05 पुरस्कार	प्रत्येक 2000/- रूपये

5. सत्यापन एवं प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन प्रपत्र में प्रतिभागियों द्वारा दर्शाये गए ऑकड़े तथ्यपरक एवं सत्य हों । इसके उपरांत ही आवेदन अग्रेषित किया जाए।

तन्मय जाना

वरिष्ठ उप महालेखाकार

(प्रशासन)

हिंदी टिप्पण/आलेखन पुरस्कार योजना - 2022-2023 के लिए

आवेदन पत्र

1. नाम- ____________________

2. पदनाम- ____________________

3. मातृभाषा- ____________________

4. हिंदी में प्राप्त उच्चतम योग्यता- ____________________

5. हिंदी में लिखे गए शब्दों की संख्या जिनका सत्यापन अभिलेखों से किया जा सके- विवरण दें-

____

____

____

6. नमूने की पाँच सत्यापित छाया प्रति संलग्न की जाए-

____

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपलब्ध अभिलेखों से उपर्युक्त शब्द संख्या का मिलान कर लिया है जो मेरी पूर्ण जानकारी में व विश्वास के अनुसार सहीं है।

आसन्न अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर